(6)

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या : 2025/85**

1. शोजी आत्मज कुसुम्बा जाति कंजर निवासी रामनगर तहसील व जिला बून्दी राज0
2. हंसराज आयु 35 वर्ष आ० स्व० नारायण जाति कंजर नि० रामनगर
3. प्रहलाद आयु 25 वर्ष आ० नारायण जाति कंजर नि० रामनगर
4. देव बाई आयु 40 वर्ष आ० स्व० नारायण जाति कंजर निवासी रामनगर
5. मंजूबाई आयु 30 वर्ष पुत्री नारायण जातिकंजर निवासी रामनगर
6. संजू बाई आयु 29 वर्ष पुत्री नारायण जाति कंजर निवासी रामनगर
7. कोमल बाई आयु 24 वर्ष पुत्री नारायण जाति कंजर निवासी रामनगर
8. पुनम बाई पुत्री नारायण जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
9. सत्यनारायण आ० बालकिशन जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
10. ममता पुत्री बालकिशन जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिलाबून्दी
11. सोनिया पुत्री बालकिशन जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी
12. सलोचना पुत्री बालकियान जाति कंजर निवासी रामनगर तह बून्दी
13. सुगना पत्नी बालकिशन जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी
14. वैजन्ती पुत्री लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी
15. ज्योति उर्फ सावित्री पुत्री लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी
16. निर्मला पुत्री लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी
17. वर्षा पुत्री लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
18. कृष्णा पुत्री लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० बून्दी जिला बून्दी
19. धर्मराज आ० लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
20. रामपति बाई पत्नी लटूर जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी राज

––अपीलान्टगण

**बनाम**

1. पुष्पा पुत्री खानासय जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
2. ललीता पुत्री खाना जाति कंजर निवासी रामनगर तह० एवं जिला बून्दी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(7)

अपील संख्या 2025/85

शोजी बनाम पुष्पा

3. नीतु पत्नी पवन जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
4. शांति पत्नी खाना जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
5. सुमित्रा पुत्री हरजीराम जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
6. सूमन पुत्री हरजीराम जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
7. रेणू पुत्री हरजीराम जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
8. मोहित आ० हरजीराम जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
9. मीरा पत्नी हरजीराम जाति कंजर निवासी रामनगर तह० व जिला बून्दी
10. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी राज०
11. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बून्दी जिला बून्दी

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः 15.07.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 99/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या—220 रकबा 0.6921 वाके ग्राम बांगामाता उर्फ भवानीपुरा पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की खाता संख्या नई—148 व पुराना 136 के अनुसार नारायण पुत्र कसुम्बा हिस्सा—1/4, ममता बाई पुत्री बालकिशन हिस्सा— 1/20, मीरा पत्नि हरजी हिस्सा—3/10, मोहित पुत्र हरजी हिस्सा—1/20, रेनो पुत्री हरजी हिस्सा—1/20, सुगना पत्नि स्व. बालकिशन हिस्सा—1/20, सत्यनारायण पुत्र बालकिशन हिस्सा—1/20, सुमन पुत्री हरजी स्व. बालकिशन हिस्सा—1/20, हिस्सा—1/20, सुमित्रा पुत्री हरजी हिस्सा—1/20, सलोचना पुत्री बालकिशन हिस्सा—1/20 एवं सोनिया पुत्री बालकिशन हिस्सा—1/20 सभी जातियान कंजर निवासीगण ग्राम रामनगर खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या—46 रकबा 0.8057, बसरा संख्या—57 रकबा 1.3381 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या—57/323 रकबा 0. 2692 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.4148 हैक्टेयर वाके ग्राम

[seal: न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा]

[signature]

(8)

अपील संख्या 2025/85

शोजी बनाम पुष्पा

बांगामाता उर्फ भवानीपुरा पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की खाता संख्या नई–57 व पुराना 16 में प्रार्थी नारायण पुत्र कुसुम्बा हिस्सा 1/6, नीतू पत्नि स्व. पवन हिस्सा–1/24, पुष्पा पुत्री खाना हिस्सा–1/24, ममता बाई पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/30, मीरा पत्नि स्व. हरजी हिस्सा–1/30 मोहित पुत्र हरजी हिस्सा–1/30, रेनो पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, लदूर पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, ललिता पुत्री खाना हिस्सा 1/24, शान्ती पत्नि खाना हिस्सा–1/24, शोजी पुत्र कुसुम्बा हिस्सा 1/6, सुगना पत्नि स्व. बालकिशन हिस्सा–1/30, सत्यनारायण पुत्र बालकिशन हिस्सा–1/30 सुमन पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, सुमित्रा पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, सलोचना पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/30, सोनिया पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/30 सभी जातियान कंजर निवासीगण ग्राम रामनगर खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या–190 रकबा 0. 261580, खसरा संख्या–377 रकबा 1.2765 है। कुल किता 2 कुल रकबा 1.5380है० वाके ग्राम बांगामाता उर्फ भवानीपुरा पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है, जो जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की खाता संख्या नई–134 व पुराना 122 अप्रार्थी क्रम–4 श्रीमती शांति पत्नि खाता के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या–189 रकबा 0.0308है०, वाके ग्राम बांगामाता उर्फ भवानीपुरा पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की खाता संख्या नई–150 व पुराना 135 में आत्माराम पुत्र हजारीलाल हिस्सा–1/8, नारायण पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/8, ममता बाई पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/40, श्री मतिशान्ति पत्नि खाना हिस्सा–1/2, सुगना पत्नि स्व. बालकिशन हिस्सा–1/40, सत्यनारायण पुत्र बालकिशन हिस्सा–1/40, सलोचना हिस्सा–1/40, सोनिया पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/40, हरजीराम पुत्र पुत्री बालकिशन कुसुम्बा हिस्सा–1/8 सभी जातियान कंजर निवासीगण ग्राम रामनगर खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या–360 रकबा 0.4845 है०, खसरा संख्या–828 रकबा 0.2615 है। कुल किता 2 कुल रकबा 0.7460 है० वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या नई–128 व पुराना–44 में प्रार्थी नारायण पुत्र कुसुम्बा हिस्सा 1/6, नीतू पत्नि स्व. पवन हिस्सा–1/24, पुष्पा पुत्री खाना हिस्सा–1/24, ममता बाई पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/30, मीरा पत्नि स्व. हरजी हिस्सा–1/30, मोहित पुत्र हरजी हिस्सा–1/30, रेनो पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, लदूर पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, ललिता पुत्री खाना हिस्सा 1/24, शान्ती पत्नि खाना हिस्सा–1/24, शोजी पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, सुगना पत्नि स्व. बालकिशन हिस्सा–1/30, सत्यनारायण पुत्र बालकिशन हिस्सा–1/30 सुमन पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, सुमित्रा पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, सलोचना पुत्री बालकिशन

हिस्सा–1/30, सोनिया पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/30 सभी जातियान कंजर निवासीगण रामनगर खातेदार दर्ज हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या–139 रकबा 0.4383 है०, खसरा संख्या–576 रकबा 0.7998 है०, खसरा संख्या–826 रकबा 0. 2538 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4919 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या नई–129 व पुराना–45 में गिर्राज पुत्र चन्दा हिस्सा–1/8, नारायण पुत्र कुसुम्बा हिस्सा 1/12, नीतू पत्नि स्व. पवन हिस्सा–1/48, पुष्पा पुत्री खाना हिस्सा–1/48, बरधा पुत्र जिव्या हिस्सा–1/8, ममता बाई पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/60, लदूर पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/12, ललिता पुत्री खाना हिस्सा–1/48, श्योजी पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/12, शान्ती पत्नि खाना हिस्सा–1/48, सुखा पुत्र जिव्या हिस्सा–1/8, सुगना पत्नि स्व. बालकिशन हिस्सा–1/60, सत्यनारायण पुत्र बालकिशन हिस्सा–1/60, सलोचना पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/60, सोनिया पुत्री बालकिशन हिस्सा–1/60, हरजी पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/12, हरिराम पुत्र जिव्या हिस्सा–1/8 जाति– कंजर सा. देह खातेदार, दर्ज हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या–333 रकबा 0.8459 है०, खसरा संख्या–570 रकबा 0.7306 है०, खसरा संख्या–575 रकबा 0.8356 है० खसरा संख्या–920 रकबा 0.284580 कुल किता 4 कुल रकबा 2.7146 है० वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या नई–39 व पुराना–46 में नारायण पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, नीतू पत्नि स्व. पवन हिस्सा–1/24, पुष्पा पुत्री खाना हिस्सा 1/24, बालू उर्फ बालकिशन पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, मीरा पत्नि स्व. हरजी हिस्सा–1/30, मोहित पुत्र हरजी हिस्सा–1/30, रेनो पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, लदूर पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, ललता पुत्री खाना हिस्सा–1/24, श्योजी पुत्र कुसुम्बा हिस्सा–1/6, शान्ती पत्नि खाना हिस्सा–1/24, सुमन पुत्री हरजी हिस्सा–1/30, सुमित्रा पुत्री हरजी हिस्सा–1/30 साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या–277/193 रकबा 0.7690है०, वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 की खाता संख्या नई–17 व पुराना 12 मे अप्रार्थी क्रम–1 लगायत 4 व इन्द्र बाई पुत्री कान्हा का प्रत्येक का क्रमशः 1/5 –सांकिन देह खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–3 लगायत 10 में वर्णित कृषि भूमियों का पक्षकारान के मध्य अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, वाद ग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही हैं। वाद ग्रस्त कृ षि भूमियों के बाबत् सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 10/01/2012 को एक इकरारनामा निष्पादित कर निवेदन किया गया था कि उक्त भूमि पुश्तैनी शामलाती भूमि हैं, उक्त भूमि के संदर्भ में सभी खातेदार पांबद हैं, अप्रार्थी क्रम–1 लगायत 4 द्वारा उक्त इकरारनामें में घोषणा की गई थी कि वाद ग्रस्त कृषि भूमियों में उनके पिता/पति कान्हा

उर्फ खाना के खाते दर्ज हैं, उसको किसी प्रकार से रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करेंगें सभी खातेदारो की राय से काम करेगें। यदि किसी प्रकार का रहन, बैचान एवं भारग्रस्त वाद ग्रस्त कृषि भूमियों के बाबत् किया जाता है तो प्राथमिक रूप से प्रथम अधिकार खातेदारो का रहेगा, उन्हे बैचान करके रकम व सहमति प्राप्त कर सकेगें। सह कि पक्षकारों के मध्य राजस्व जमाबंदी में स्वतंत्र खाता दर्ज नहरी माहोने तथा किसी प्रकार कर बंटवारा नहीं होने से अप्रार्थी नीतु पत्नि पवन कुमार की नियत में बदनियति आ गई है और अब वे प्रार्थना पत्र की चरण कम–3 लगायत 10 में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में नाम इन्द्राज होने से वे वाद विषयक आराजी को रहन, वैचान एवं भास्ग्रस्त करने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र की चरण कम–2 लगायत 9 में वर्णित आराजी का सहमति बंटवारा करवाने के लिये प्रार्थीगण ने दिनांक 19/05/2024 को अप्रार्थीगण से कहा किन्तु वह सहमत नहीं होने उसके उपरान्त अप्रार्थी नीतु द्वारा वाद ग्रस्त कृषि भूमियों को अन्य व्यक्ति के पक्ष में रहन, वैचान करने हेतु आये दिन अप्रार्थी नीतु द्वारा पृथक–पृथक व्यक्तियों को वाद ग्रस्त कृषि भूमि को दिखाने हेतु भिजवाया जा रहा हैं, जिससे प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण कम 3 लगायत 10 में वर्णित आराजीयात का इस प्रकार बंटवारा करवाये कि प्रार्थना–पत्र की चरण कम–3 लगायत 10 में वर्णित बंटवारे में सभी पक्षकारान को समान भाग की भूमि प्राप्त हो सके तथा अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे वाद विषयक आराजी का जब तक विधिवत बंटवारा होकर होकर समान भाग की भूमि प्राप्त नही हो तब तक वाद विषयक आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियो, संस्था को रहन, बैचान भारग्रस्त नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न नही करे। वाद कारण प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 लगायत 10 में वर्णित आराजी का सहमति से बंटवारा करने हेतु अप्रार्थीगण से दिनांक 19/05/2024 को कहने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से इंकार कर देने उसके पश्चात् आये दिन वाद ग्रस्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र की चरण क्रम–3 लगायत 10 में वर्णित आराजी को अन्य को रहन, बैचान, भारग्रस्त करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर होने से उसे पक्षकार बनाया गया है तथा उप पंजीयक महोदय बून्दी के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा वाद विषयक आराजी के किसी भी रहन, बैचान भार विलेख का पंजीयन करवाने की संभावना होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। मूल वाद के विचारण में काफी समय लगने की संभावना है और अप्रार्थीगण शीघ्र ही प्रार्थना–पत्र की चरण कम–3 लगायत 10 में वर्णित आराजीयात का बिना विधिवत बंटवारा हुये वाद विषयक आराजी के किसी भी भाग को रहन, बैचान एवं भास्ग्रस्त कर किसी भी रहन, वैचान विलेख का पंजीयन उप पंजीयक बून्दी के यहाँ पंजीकृत करवाने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में दौराने वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किये

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

गये तो प्रार्थीगण को ऐसी भारी अपूरर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा संतुलन का भार प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हैं। अतः प्रार्थना हैं कि ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि :–(1) अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना–पत्र की चरण क्रम–3 लगायत 10 में वर्णित कृषि भूमि का जब तक विधिवत् बंटवारा नही हो तब तक वाद विषयक आराजी को अन्य व्यक्ति, बैंक, संस्था आदि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नही करें तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। (2) अप्रार्थी उप पंजीयक महोदय बून्दी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें वाद–पत्र की चरण क्रम–3 लगायत 10 में वर्णित कृषि भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा निष्पादित कोई भी भार विलेख अथवा हस्तान्तरण विलेख का पंजियन नही करें। (3) अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण को प्रदान करवाई जावें ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2024 को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को पूर्व में दिनांक 27.06.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को संशोधित करते हुए खसरा नम्बर 190, 377/191 ग्राम बांगामाता उर्फ भवानीपुरा तथा खसरा नम्बर 277/1.93 ग्राम दौलतपुरा पर जारी स्थगन आदेश को वेकेन्ट(शुन्यचित) किए जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि की भारी त्रुटि होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत

होने से आदेश दिनांक 24–1–25 को किया स्टे वेकेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 24–1–25 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अभिभाषक गण को बुलाकर खाली आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करा लिया और दिनांक 27–6–24 को जारी स्टै को वेकेन्ट करने का आदेश लिख दिया गया । इस प्रकार खाली आर्डर शीट पर वकील प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करा कर स्टे को वेकेन्ट किया जाकर आर्डर शीट बाद में लिखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है। अतः आदेश दिनांकित 24–1–25 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 27–6–24 को पारित आदेश बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा दोनो पक्ष को सुना कर ही जारी की गई थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के विवेक से ही स्टे को वेकेन्ट करने का कथन किया जाकर खाली आर्डर शीट पर अधिवक्ता प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवा लिये गये। जिस बाबत वकील प्रार्थीगण अनभिज्ञ थें। ऐसी स्थिति में वेकेन्ट आदेश दिनांक 24–1–25 को निरस्त किया जाकर दिनांक 27–6–24 को यथावत (अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहने बाबत) रखा जाना होने के बावजूद बिना किसी युक्तियुक्त कारण के स्टे को वेकेन्ट किये जाने में त्रुटि की है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 27–6–24 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना तथ्य सम्मत था लेकिन बिना किसी कारण व बिना वकील प्रार्थीगण की सहमति के स्टे वेकेन्ट किये जाने का कोई औचित्य नही होने के बावजूद भी स्टे को वेकेन्ट करने में, त्रुटि की है। प्रार्थी/अपीलान्ट स्टे वेकेन्ट होने से प्रभावित पक्षकार है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश दिनांक 24–1–25 निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्त में अपील अपीलांट अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 निरस्त किए जाने तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.08.2024 बहाल किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 का एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण स्वर्गीय श्री कान्हा के वारिसान है। कृषि भूमि खसरा सं० 190 रकबा 0.2615 हैक्टेयर तथा खसरा सं० 377 रकबा 1.2765 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5380 हैक्टेयर वाके ग्राम बांगामाता उर्फभवानीपुरा पटवार हल्का रामनगर तहसील व जिला बूंदी में स्थित है । इस भूमि के रकबे पर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सं० 4 शान्ति का ही केवल मात्र कब्जा व खाता है। अपीलांटगण कोई हिस्सा इस कृषि भूमि पर नही है। खसरा स0 277/193 रकबा 0.7690 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगर तहसील व जिला बूंदी की भूमि में अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/4 हिस्सा है जिसमे अपीलांटगण का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक हिस्से तक तक प्रार्थीगण अपीलांटगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 नीतू जो एक विधवा महिला है उसके हिस्से पर जबरन डरा

कोटा

(13)

धमका व मारपीट कर कब्जा करने पर अपीलांटगण आमादा रहते है। जिसकी समय समय पर प्रार्थना पत्र मे अंकित कुछ प्रार्थीगण के विरूद्व पुलिस थाना सदर बूंदी में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 खसरा नम्बर 190, 377/191 एवं खसरा नम्बर 277/193 के स्वतंत्र रूप से खातेदार है। इसलिए यह आराजीयात बटवारे मे शामिल नही हो सकती है। अन्य आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में रेस्पोडेन्टगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांटगण अप्रार्थीगण को उनकी स्वतंत्र खाते की आराजी के सम्बंध में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी सं० 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से के कब्जे काश्त की आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांटगण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटगण केवल मात्र जमाबन्दी अनुसार ही उनके हिस्से में आई कब्जे काश्त की भूमि का ही बटंवारा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.08.2024 के अनुसार प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान के विरूद्ध सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के मोके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है तथा आगामी पेशी 30.07.2024 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.01.2025 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश होने तथा बहस सुने जाने का अंकन है। साथ ही इसी आदेशिका दिनांक 24.01.2025 में शेष अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किए जाने का आदेश अंकित है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तथा बहस सुनी जा चुकी थी। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. के आदेश 39 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बहस सुनने के बावजूद भी प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं करते हुए दिनांक 27.08.2024 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश में खसरा नम्बर 190, 377/191 वाके ग्राम बांगामाता एवं खसरा नम्बर 277/193 वाके ग्राम दौलतपुरा की भूमि पर जारी स्थगन आदेश को वेकेन्ट किए जाने का आदेश अपनी आदेशिका दिनांक 24.01.2025 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण अधीनस्थ

–अपीलान्टस/प्रार्थीगण

न्यायालय में विचाराधीन है अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रकिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.01.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण वास्ते बहस नियत है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः हमारे मत में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतिम निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.08.2024 बहाल रखा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत उभयपक्षकारान को सुनकर, प्रकरण का सी.पी.सी. के आदेश 39 में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप से निस्तारण करें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा